Call centre employee identifies second gang rape accused

EXPRESS NEWS SERVICE
CHANDIGARH, MARCH 16

THE SECOND accused in the call centre employee gang rape case was identified by the victim on Friday. The gang rape victim has identified accused Kamal Hassan, who hails from Delhi, among 10 persons during a Test Identification Parade (TIP) inside Model Burail Jail. The parade, conducted in presence of a deputed magistrate, was video-recored as well.

Meanwhile, Chandigarh police also moved an application of production warrants in the court of JMIC Palwinder Singh on Friday, seeking custody of Hassan who was arrested from his house at Kalandar Colony, Shahdara, in Delhi on March 14. The decision on the application will be taken on Saturday.

DSP (East) Satish Kumar said the gang rape victim identified Hassan in the TIP.

"We will take Hassan in custody for further interrogation. The call centre employee was kidnapped and taken to a secluded place in Sector 29 in the auto of another accused Mohammed Irfan. The same auto was used during the gang rape of a Dehradun woman in November 2017," Kumar said.

The call centre employee was allegedly raped by two persons in a secluded area behind Iron Market, Sector 29, in December, 2016. One of the accused, Irfan, who was an auto driver and a resident of Zirakpur, along with his two associates was later arrested, but in a rape case of a Dehradun woman in November 2017. His DNA profiling matched with the samples, which had been taken from the clothes of the call centre employee in 2016. Chandigarh police later obtained the custody of Irfan on production warrants on March 13. Hassan, who is his cousin, was arrested following his interrogation.

Notably, Chandigarh Police had also arrested another auto driver, Wasim Malik, who is behind bars. A senior police officer said they will shortly move a discharge application for Malik. "Before moving the discharge application, it will be discussed with the legal department of the Chandigarh Police. Though the victim had identified Malik, she turned hostile in trial court," said the officer.

A case is registered with Industrial Area police.

The Indian EXPRESS epaper editions Sat, 17 March 2018
epaper.indianexpress.com//c/27087790

भाई–बहन को पीटने वाले काबू

आज समाज नेटवर्क

- दो बहन के साथ युवक आया था सामान खरीदने
- अदालत ने आरोपियों को भेजा न्यायिक हिरासत में

चंडीगढ़। सेक्टर-22 स्थित पार्किंग ठेकेदार के करिंदों द्वारा बहन से छेड़छाड़ के बाद युवक को पीटने के मामले में पुलिस ने ठेकेदार के दो करिंदों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान पंजाब के रोपड़ निवासी गुरमुख सिंह और जगदीश सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों को शुक्रवार को जिला अदालत में पेश किया। अदालत ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

यह है मामला

पुलिस ने बताया कि वीरवार को सेक्टर-20 का रहने वाला एक युवक अपनी दो बहनों समेत कार में सवार होकर सेक्टर-22 की मार्केट में कुछ सामान खरीदने आए थे। यहां युवक ने अपनी कार सेक्टर-22 के किरण सिनेमा के पास पार्क कर दी। इसी दौरान पार्किंग ठेकेदार का करिंदा आया और गाड़ी में बैठे उसकी बहन के साथ पर्ची दिखाने को लेकर बदतमीजी करने लगा। इसको लेकर दोनों पक्षों के बीच बहसबाजी हो गई। पार्किंग ठेकेदार के अन्य करिंदें आ गए उन्होंने युवतियों के भाई पर हमला कर दिया। इस दौरान उनका भाई घायल हो गया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई थी। पुलिस ने मामले की पड़ताल करते हुए 2 करिंदों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

Aaj Samaj Dt: 17/03/2018

गैंगरेप के दूसरे आरोपी को भी पीड़िता ने पहचाना

आज प्रोडक्शन वारंट पर अदालत से आरोपी के रिमांड की मांग करेगी पुलिस

अमर उजाला ब्यूरो

चंडीगढ़।

ट्रिब्यून चौक के पास दिसंबर-2016 में सेक्टर-29 की स्लिप रोड पर 21 वर्षीय युवती (कॉल सेंटर कर्मचारी) से गैंगरेप के तीसरे आरोपी को पीड़िता ने शुक्रवार को बुड़ैल मॉडल जेल में शिनाख्त परेड के दौरान पहचान लिया। आरोपी की पहचान दिल्ली स्थित दिलशाद गार्डन के सीमापुरी निवासी कमल हसन उर्फ दिल दिल के रूप में हुई है।

आरोपी की शिनाख्त परेड के लिए एसडीएम ने तहसीलदार अमनिंदर सिंह की ड्यूटी लगाई थी। उनकी मौजूदगी में ही पीड़िता ने आरोपी की शिनाख्त की। पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने के लिए कुछ सवाल तैयार किए हैं ताकि अदालती प्रक्रिया में आरोपी किसी कमजोर कड़ी को ढाल बनाकर बच नहीं सके। पीड़िता इससे पहले उससे गैंगरेप के अन्य आरोपी कमल हसन के रिश्तेदार ऑटो चालक आरोपी मोहम्मद इरफान की भी पहचान कर चुकी है, जो फिलहाल जेल में है। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद इरफान को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ में आरोपी कमल हसन उर्फ दिल दिल की पहचान पता लगने पर उसे दिल्ली के दिलशाद गार्डन स्थित सीमापुरी से उसके रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार किया था।

आरोपी मोहम्मद इरफान। अमर उजाला

इरफान को भेजा न्यायिक हिरासत में

मुख्य आरोपी मोहम्मद इरफान को तीन दिन के रिमांड के बाद पुलिस ने शुक्रवार को जिला अदालत में पेश किया। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं, अदालत ने दूसरे आरोपी कमल हसन उर्फ दिल दिल को प्रोडक्शन वारंट पर जिला अदालत में लाने की याचिका भी मंजूर कर ली। जेल प्रशासन उसे शनिवार को जिला अदालत में पेश करेगा। इसके बाद पुलिस उसकी आगे की जांच, मेडिकल आदि के लिए उसका रिमांड हासिल करेगी। नवंबर 2017 में सेक्टर-53 में मोहाली निवासी युवती से हुए सामूहिक दुराचार और सेक्टर-29 में दिसंबर 2016 में हुए सामूहिक दुराचार की एक जैसी घटना और इसे अंजाम देने का तरीका एक जैसा होने पर पुलिस ने मोहम्मद इरफान को प्रोडक्शन वारंट पर लाकर उसका तीन दिन का पुलिस रिमांड लिया था। रिमांड के दौरान इरफान ने कमल हसन के वारदात में शामिल होने का खुलासा किया था। इससे पहले आरोपी का डीएनए भी पॉजीटिव आ गया था।

यह है मामला

12 दिसंबर 2016 को काल सेंटर में काम करने वाली युवती के साथ ऑटो चालक और उसके साथियों ने गैंगरेप किया था। उसने भी सेक्टर-34 से घर जाने के लिए ऑटो लिया था। ऑटो में चालक सहित तीन युवक थे, जिन्होंने चाकू के दम पर वारदात को अंजाम दिया था। एक ऑटो चालक वसीम मलिक की पुलिस ने छह दिन बाद गिरफ्तारी दिखा दी थी, लेकिन अन्य आरोपियों का पुलिस सुराग नहीं लगा सकी। वहीं पुलिस केस में ऑटो भी नहीं बरामद कर सकी थी। अदालत में पीड़िता युवक को पहचानने से इंकार कर चुकी है। वहीं डीएनए सैंपल भी उससे मैच नहीं हुए थे।

वसीम की जमानत पर पुलिस को नोटिस

सेक्टर-29 गैंगरेप मामले में पहले गिरफ्तार किए गए आरोपी वसीम मलिक की जमानत याचिका पर अदालत ने पुलिस को 26 मार्च के लिए नोटिस किया है। याचिका में वसीम ने कहा है कि अब जब केस में दोनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं तो ऐसे में उसे जमानत दे दी जाए। याचिका पर पुलिस 26 मार्च को जवाब दाखिल करेगी।

Amar Ujala Dt: 17/03/2018